भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
[भारत सरकार / Government of India]

भादूविप्रा
TRAI

तुरंत जारी करने हेतु

प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक 71/2025

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भा.दू.वि.प्रा.)

भा.दू.वि.प्रा. ने अपने नाम का दुरुपयोग कर किए जा रहे धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों को लेकर चेतावनी जारी की

आम घोटालों में शामिल हैं — डिजिटल अरेस्ट, सिम डिएक्टिवेशन, टॉवर इंस्टॉलेशन और फर्जी पत्र

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भा.दू.वि.प्रा.) ने एक सलाह जारी कर जनता को भा.दू.वि.प्रा. के नाम के दुरुपयोग से जुड़े साइबर फ्रॉड और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के बारे में से सावधान किया है। इन घोटालों में शामिल हैं: भा.दू.वि.प्रा. अधिकारियों के नाम पर फोन कॉल, मैसेज, जाली दस्तावेज और फर्जी लेटरहेड्स, के माध्यम से लोगों को डराकर या भ्रमित कर उनकी निजी जानकारी लेने या पैसे ट्रांसफर करवाने के प्रयास। **कथित रुप से भा.दू.वि.प्रा. के नाम पर किया गया ऐसा कोई भी संपर्क अवैध है और किसी भी प्रकार से भा.दू.वि.प्रा. से जुड़ा नहीं है।**

भा.दू.वि.प्रा. के नाम का दुरुपयोग कर उभरते घोटाले

एक प्रमुख उदाहरण है **'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम,** जिसमें कॉल करने वाले खुद को भा.दू.वि.प्रा. या कानून प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों पर फर्जी टेलीकॉम या वित्तीय उल्लंघनों का आरोप लगाते हैं। इन मामलों में पीड़ितों को नकली कानूनी दस्तावेज़, फर्जी पहचान, और गिरफ़्तारी या अकाउंट फ्रीज़ करने की धमकी देकर जमानत, जुर्माना या सत्यापन के बहाने पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है।

भा.दू.वि.प्रा. पुनः स्पष्ट करता है कि वह मोबाइल नंबर डिसकनेक्शन के बारे में कभी भी कोई संदेश या अन्य माध्यम से उपभोक्ताओं से संपर्क नहीं करता है। भा.दू.वि.प्रा. ने किसी भी थर्ड-पार्टी एजेंसी को भी इस प्रकार के कार्यों के लिए अधिकृत नहीं किया है। कोई भी विनियामक निकाय न तो किसी मामले की जांच करता है, और न ही फोन कॉल, मैसेजिंग ऐप या वीडियो प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए किसी भी प्रकार का भुगतान स्वीकार करता है।

भा.दू.वि.प्रा. की पहचान का दुरुपयोग करने वाले अन्य सामान्य घोटाले हैं:

- **सिम निष्क्रिय किए जाने की धमकियाँ:** कॉल या मैसेज के ज़रिए यह झूठा दावा किया जाता है कि यदि तुरंत कार्रवाई न की गई तो केवाईसी समस्या के कारण मोबाइल नंबर बंद कर दिया जाएगा।

- **मोबाइल टॉवर इंस्टॉलेशन के ऑफ़र**: फर्जी प्रस्तावों के माध्यम से ऊँचे किराए का लालच देकर अग्रिम पंजीकरण शुल्क की मांग की जाती है, और अक्सर फर्जी भा.दू.वि.प्रा. अनुमोदनों का हवाला दिया जाता है।
- **फर्जी पत्र या ईमेल:** भा.दू.वि.प्रा. के लोगो का उपयोग करके नकली दस्तावेज़ या ईमेल भेजे जाते हैं ताकि पैसे की मांग, निवेश ऑफ़र या अनुपालन से जुड़ी कार्रवाइयों को वैध ठहराया जा सके।

भा.दू.वि.प्रा. की स्पष्टीकरण सूचना
भा.दू.वि.प्रा. एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत की गई है। यह प्राधिकरण: दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं को विनियमित करता है, सरकार को नीतिगत सिफारिशें देता है, और सेवा गुणवत्ता की निगरानी करता है।

भा.दू.वि.प्रा. क्या नहीं करता है:
- व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के खिलाफ कोई जांच नहीं करता।
- आधार, बैंक खाता, OTP या अन्य निजी जानकारी नहीं मांगता।
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से गिरफ़्तारी की धमकी या चेतावनी जारी नहीं करता।

जनता के लिए चेतावनी
नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे:

- यदि उन्हें कोई धमकी भरी या संदिग्ध कॉल आए तो **तुरंत कॉल काट दें।**
- किसी भी कॉल या वीडियो चैट पर व्यक्तिगत, बैंकिंग या पहचान से जुड़ी जानकारी **साझा न करें।**
- अनचाही मांगों के जवाब में **कभी भी पैसे ट्रांसफर न करें।**
- किसी भी संदिग्ध जानकारी के बारे में **स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें** — केवल आधिकारिक वेबसाइटों या सरकारी हेल्पलाइनों के माध्यम से।
- किसी भी **धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें** — नेशनल साइबरक्राइम हेल्पलाइन 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर।
- **संदिग्ध नंबरों को चिह्नित (Flag) करें** — Sanchar Saathi पोर्टल के Chakshu फीचर या TRAI DND ऐप के माध्यम से।

भा.दू.वि.प्रा. सभी नागरिकों से — विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और डिजिटल रूप से कम अनुभवी उपयोगकर्ताओं से — आग्रह करता है कि वे सतर्क रहें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। जल्दी जागरूकता और समय पर रिपोर्टिंग ही इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने में सबसे प्रभावी उपाय हैं।

अतुल चौधरी
6/8/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, TRAI
www.trai.gov.in